

प्रेस विज्ञप्ति / Press Release

16 जुलाई / July, 2019

सिडबी द्वारा स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड से योगदान प्राप्त करने हेतु वेब-आधारित आवेदन प्रणाली का शुभारंभ

SIDBI introduces web-based application system for contribution from Fund of Funds for Startups

निर्णय-कार्रवाई में लगने वाले समय में कमी लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफ़एफ़एस) से योगदान प्राप्ति के लिए वेब-आधारित आवेदन प्रणाली की शुरुआत की है। तदनुसार, विभिन्न वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) से योगदान विषयक आवेदन अब ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और उनके संबंध में कार्रवाई की स्थिति को ऑनलाइन देख पाना आवेदकों के लिए स्लभ होगा।

With an aim to improve the turnaround time and increase transparency, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), has introduced web-based application system for contribution from Fund of Funds for Startups (FFS). Accordingly, applications for contribution from various Alternative Investment Funds (AIFs) will now be accepted online and the status of the same shall be accessible to applicants.

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान सिडबी की वेबसाइट (https://www.sidbi.in/) के आमुख-पृष्ठ पर ही रहेगा। आवेदन प्रक्रिया को आरंभ करने हेतु एआईएफ़ को पहले अपना खाता बनाना होगा और फिर उसमें विवरणों को भरकर आवेदन को अपेक्षित कागजातों के साथ ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा।

The provision of submission of online application shall be on the home page of SIDBI (https://www.sidbi.in/). To begin with the application process, the AIF should create an account, fill in the details and submit the application form online along with the required supporting documents.

सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री मोहम्मद मुस्तफा, आईएएस ने कहा, "इस शुभारंभ के साथ ही काफी सारा प्रशासनिक कार्य कम हो जाने की उम्मीद है तथा इससे पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी।"

Shri Mohammad Mustafa, IAS, Chairman and Managing Director of SIDBI said, "With this introduction, a lot of administrative work is expected to be reduced and it will smoothen the entire process."

सिडबी, भारत सरकार के रु. 10,000 करोड़ के कोष वाले फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफ़एफ़एस) का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है।

SIDBI is the implementing agency for FFS with a corpus of Rs. 10,000 crore on behalf of Government of India.

सिडबी ने स्टार्टप्स के एक गतिशील पारितंत्र को निर्मित करने हेतु विभिन्न विकासात्मक पहलें क्रियान्वित की हैं। उद्यम पूंजी मार्ग से निधि प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करने हेतु सिडबी अगले महीने निवेशक दिवस मनाएगा।

SIDBI has also undertaken various development initiatives to build a vibrant startups ecosystem. Next month SIDBI will be celebrating Investors Day to support startups seeking funding via venture capital route.

सिडबी के बारे में: 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों; उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों। अधिक ज्ञानकारी के लिये कृपया वेबसाइट https://www.sidbi.in/ पर जाएँ।

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental measures. For more information, please visit: https://www.sidbi.in/

मीडिया संपर्क: नीलाश्री बर्मन, मोबाइल: +91 8879760249, ई-मेल: neelasrib@sidbi.in

Media contact: Neelasri Barman, Mobile: +91 8879760249, E-mail: neelasrib@sidbi.in